उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–06/2023–24

सरकार

बनाम्

राजीव कुमार यादव

–: आदेश :–

दिनांक 8/8/23

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला हनवारा थाना काण्ड संख्या–04/2023 दिनांक–08.02.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–1227/अप0शा0 दिनांक–28.03.2023 से धारा–379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त मिनी हाईवा निबंधन सं0–BR10GB-2890 तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त मिनी हाईवा निबंधन सं0–BR10GB-2890, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त मिनी हाईवा निबंधन सं0–BR10GB-2890, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त मिनी हाईवा निबंधन सं0–BR10GB-2890, के मालिक राजीव कुमार यादव, पिता–भागवत यादव, सा0–वंशीपुर बेला, थाना–सनोखर, जिला–भागलपुर, बिहार के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में मिनी हाईवा निबंधन सं0–BR10GB-2890 एवं उस

पर बालू के विरूद्ध धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी राजीव कुमार यादव का कथन है कि विपक्षी के वाहन को बालू खुदाई के समय बालू घाट से जप्त नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें सड़क से जप्त किया गया है। विपक्षी अप्रयुक्त पुराने बालू को जप्त वाहन से परिवहन किया जा रहा था, जो विपक्षी ने पूर्व में खरिदा था। इस प्रकार विपक्षी के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। इसलिए उनके जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है एवं जप्त कर हनवारा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का मिनी हाईवा निबंधन सं0–BR10GB-2890, को अबंदोवस्त बालू घाट से बालू चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे अवैध बालू के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से बालू चोरी एवं परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि 24000.00 (चौबीस हजार) रू0 जुर्माना राशि एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त मिनी हाईवा निबंधन सं0–BR10GB-2890, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे बालू को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।
08/08/23

उपायुक्त,
गोड्डा।
08/08/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 12:49:22 +05:30
Location: 192.168.1.38